

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड
अधिसूचना सं. 44/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 8 जून, 2020

सा.का.नि.____(अ).- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2020 (जिसे इसके पश्चात् नियम कहा गया है), के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो अधिसूचना संख्यांक 38/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 5 मई, 2020 द्वारा बनाया गया, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 272(अ) तारीख 5 मई, 2020, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, 8 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में जिसको नियम के उक्त उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/16/2018 -जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार